न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 210/2018

1. श्रीमती केसरी पत्नी स्व0 श्री रामसहाय, जाति–हरियाणा ग्राम्हण, निवासी–आकेडा चौड, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
2. गोपाल पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–हरियाणा ग्राम्हण, निवासी–आकेडा चौड, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

वनाम

1. रणजीता पुत्र स्व0 श्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।
2. लल्लू उर्फ लाला पुत्र स्व0 श्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला–जयपुर। (मृतक)
   2/1. मन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री लल्लू उर्फ लाला जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।
   2/2. श्रवण पुत्र स्व0 श्री लल्लू उर्फ लाला जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।
   2/3. कालू पुत्र स्व0 श्री लल्लू उर्फ लाला जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।
   2/4. महेश पुत्र स्व0 श्री लल्लू उर्फ लाला जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।
4. बरदा उर्फ फूलचंद पुत्र स्व0 श्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।
5. प्रबंधक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा चौमू, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
6. प्रबधंक एस.बी.आई. शाखा चौमू, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर दिनांक 17.08.1990 बाबत् नामान्तरकरण सं0 29 वाके ग्राम आकेडा चौड मिसल सं0 387/89 निर्णय दिनांक 11.10.1989)

उपस्थितः–

1. श्री घीसालाल कुमावत, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से ।
2. श्री प्रताप सिंह सिरोही, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1, व 4 तथा 2/1 लगा0 2/4 की ओर से।
3. श्री भानू पारीक, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से।
4. पेरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट सं0 7 की ओर से।
5. रेस्पोडेन्ट सं0 5 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 29.11.2019

यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम आकेडा चौक, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर के सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 11.10.1989 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण सं0 29 दिनांक 17.08.1990 के विरूद्व पेश की गई है जिसमें तहसीलदार, आमेर द्वारा हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 व 486 की भूमि को रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, आमेर से प्रकरण से संबंधित मूल नामान्तरकरण प्राप्त की गई।

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162, 486 स्थित ग्राम आकेडा चौक, तहसील–आमेर गत ख0नं0 80 व 215 से बने है जिसके संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष रामप्यारी बेवा नाथूलाल वगै0 ने साबिक ख0नं0 66, 80, 89, 225, 202, 359, 32/376 कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा व न्यायालय सहायक कलक्टर, आमेर में उनवानी वाद नाथूलाल बनाम रमश्या आराजी साबिक ख0नं0 94, 102, 104, 155, 153, 215, 233, 237, 238, 279, 282, 284, 299, 350, 354, 357 कुल रकबा 31 बीघा 3 बिस्वा थे जिनमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के मुकदमा नं0 140/1970 में जरिये राजीनामा अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 जारी की गई थी, जिसमें अपीलान्ट केसरी व उसके लडके गोपाल के हक में साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 कुल किता 10 जरिये अपील डिक्री हक में दिये गये थे जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण सं0 126 व 127 दिनांक 21.09.1977 को तस्दीक किये गये थे। नामान्तरकरण सं0 126 के द्वारा अपीलान्ट के नाम से साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया था जो दौराने भू–प्रबंध जमाबंदी में दर्ज था।

अपीलान्ट्स की खातेदारी में से ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 व साबिक ख0नं0 215 के हाल ख0नं0 486 को दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही के सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा मिसल नं0 387/1989 आदेश दिनांक 11.10.1989 के द्वारा सहायक भू–प्रबंध अधिकारी से विधि–विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 ने अपनी माता के नाम से गलत आदेश जारी करवा लिये।

जबकि रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत तथ्य असत्य एवं मनघढ़न्त होने के कारण अस्वीकार है। अपीलान्ट्स के पति व पिता रमश्या उर्फ रामसहाय एवं रेस्पोडेन्ट के विरूद्व रामप्यारी बेवा नाथूलाल एवं नाथूलाल के पुत्रों द्वारा

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

एक वाद उपखण्ड अधिकारी, आमेर के यहां प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ख0नं0 159, 160, 161, 162, 486 इसके साबिक ख0नं0 80 एवं 215 है व अन्य कृषि भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था जो उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा आदेश दिनांक 17.03.1970 को खारिज किया गया है, जिसमें ख0नं0 80 पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वज रामनाथ का कब्जा काश्त होना पाया गया है। जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट के पिता व पति को भी पक्षकार बनाया गया था। पक्षकारों द्वारा आपस में राजीनामा होने पर अपील का फैसला दिनांक 12.08.1974 को हुआ जिसमें ख0नं0 80 रेस्पोडेन्ट्स के हिस्से में आयी तब से ही रेस्पोडेन्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः रेफरेन्स के पक्ष में सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार है।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम आकेडा चौक, तहसील–आमेर के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 गत ख0नं0 80 से व ख0नं0 486 गत ख0नं0 215 से बने है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के मुकदमा नं0 140/1970 में जरिये राजीनामा अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 जारी की गई थी, जिसमें अपीलान्ट केसरी व उसके लडके गोपाल के हक में साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 कुल किता 10 जरिये अपील डिक्री हक में दिये गये थे जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण सं0 126 व 127 दिनांक 21.09.1977 को तस्दीक किये गये थे। नामान्तरकरण सं0 126 के द्वारा अपीलान्ट के नाम से साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया था जो दौराने भू–प्रबंध जमाबंदी में दर्ज था।

अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि के ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 व साबिक ख0नं0 215 के हाल ख0नं0 486 को दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही के सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा मिसल नं0 387/1989 में आदेश दिनांक 11.10.1989 के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। जिसका ज्ञान अपीलान्ट्स को विधवा, अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश की व्यक्ति होने के कारण पता नही चल सका। अपीलान्ट्स द्वारा लोन लेने के लिये जमाबंदी लेने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर सर्वप्रथम दिनांक 03.10.2012 को उन्हे यह ज्ञात हुआ कि साबिक ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 उनके नाम नही है यह भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट सं0 1

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

लगा0 4 से जानकारी करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि सेटलमेंट के समय ही यह वादग्रस्त भूमि हमनें अपने नाम करवा ली है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश बिना किसी आधार होने के कारण खारिज योग्य है। भू–प्रबंध विभाग को केवल मात्र तीन परिस्थितियों में ही प्रचलित इन्द्राजात को बदलने का अधिकार है :– 1. सक्षम न्यायालय की डिक्री 2. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 3. विरासत। अपीलाधीन आदेश इन तीनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नही आता है। अतः सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.10.1989 की पालना में तहसीलदार, आमेर द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सं0 29 निरस्त किया जावें तथा माननीय राजस्व मण्डल के मुकदमा नं0 140/1970 अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 की पालना में नामान्तरकरण सं0 126 दिनांक 21.09.1977 के द्वारा जमाबंदी में दर्ज किये गये साबिक खातेदारी इन्द्राजों के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज अपीलान्ट के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, आमेर को निर्देशित किया जावें। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

1. 1984 R.R.D. 45 (D) (E)
2. 1993 R.R.D. 411
3. 1996 R.R.D. 457
4. 2001 R.B.J. (8) 539
5. 1998 R.R.D. 319 HC
6. 2008 R.B.J (15) 331 HC
7. 2001 R.R.T. (1) 596
8. 2001 R.R.T. (1) 244 HC

वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट्स के पति व पिता रमश्या उर्फ रामसहाय एवं रेस्पोडेन्ट के खिलाफ रामप्यारी बेवा नाथूलाल एवं नाथूलाल के पुत्रों द्वारा एक वाद 14/1964 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर में प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादग्रस्त आराजी एवं अन्य कृषि भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा निर्णय दिनांक 17.03.1970 द्वारा खारिज किया गया जिसमें ख0नं0 80 पर रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज रामनाथ का कब्जा होना पाया गया था जिसके कारण उक्त वाद निर्णय दिनांक 17.03.1970 द्वारा निरस्त किया गया था। अपीलान्ट्स को ख0नं0 80 के संबंध में अपीलान्ट्स का कब्जा–काश्त होना एवं उसके खातेदारी होने का तथ्य की जानकारी थी। तत्पश्चात् उक्त वाद के निर्णय दिनांक 17.03.1970 के विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलान्ट्स के पति एवं पिता को पक्षकार बनाया गया था जिसमें पक्षकारों द्वारा आपस में राजीनामा

Scanned by CamScanner

किया गया एवं दिनांक 12.08.1974 को राजीनामें के आधार पर निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय में ख0नं0 80 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आयी तथा तब से ही वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का लगातार कब्जा है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को लगातार रही है। वादग्रस्त भूमि पर 1985–86 के दौरान भू–प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि के पर्चे सेटलमेंट में रेस्पोडेन्ट्स के नाम आये जिस पर भी अपीलान्ट्स द्वारा कभी कोई उज्र नही किया गया। इसके पश्चात् ख0नं0 80 के नये नं0 वर्ष 1989 से बने हुए है उनका भी अपीलान्ट्स को पूर्ण ज्ञान था परन्तु अपीलान्ट्स द्वारा कभी कोई विरोध नही किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अपने अपील में यह तथ्य प्रकट किया है कि दिनांक 03.10.2012 को उसको सर्वप्रथम लोन लेने के लिए पटवारी हल्का से जानकारी करने पर साबिक ख0नं0 80 उसके खाते में नही होने की जानकारी मिली है। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा–136 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1954 पेश किया गया था। जिसमें वर्ष 2004 में अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाते हुए पूर्व ख0नं0 80 के साथ–साथ ख0नं0 215 की कृषि भूमि भी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी गई थी, जिसका विरोध करते हुए स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साबिक ख0नं0 215 जिसके हाल ख0नं0 486 की 0.54 हे0 भूमि को अपीलान्ट्स के नाम लिखाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो निर्णय दिनांक 12.08.1974 द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट को साबिक ख0नं0 80 की भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम होने की पूर्ण जानकारी थी। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय में पूर्व के इन्द्राजात को ही रिपीट किया है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.1989 द्वारा विधि अनुसार पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा 23 वर्ष पश्चात् अपील दायर की गई है। जबकि अपीलान्ट्स को प्रकरण की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण निरस्त की जावें।

हमनें पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.1989 की पालना में तत्कालीन तहसीलदार, आमेर द्वारा नामान्तरकरण सं0 29 दिनांक 17.08.1990 तस्दीक किया गया है। तस्दीकशुदा नामान्तरकरण विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों ससम्मान अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (...) सत्यमेव जयते जिला–जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

किया। हमने सर्व प्रथम उभय पक्षों द्वारा मियाद बिन्दु के संबंध में की गई बहस पर अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में जानकारी के अभाव में हुई देरी को कण्डोन कर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि ग्राम आकेडा चौड, तहसील–आमेर के साबिक ख0नं0 80 से हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 गत व साबिक ख0नं0 215 से हाल ख0नं0 486 बने है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के मुकदमा नं0 140/1970 में जरिये राजीनामा अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 जारी की गई थी, जिसमें अपीलान्ट केसरी व उसके लडके गोपाल के हक में साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 कुल किता 10 जरिये अपील डिक्री हक में दिये गये थे। नामान्तरकरण सं0 126 के द्वारा अपीलान्ट के नाम से साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया था जो दौराने भू–प्रबंध जमाबंदी में दर्ज था।

अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि के साबिक ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 गत व साबिक ख0नं0 215 के हाल ख0नं0 486 को दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही के सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा पुराने रिकार्ड का बिना अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तथा बिना उभय पक्षों को सुने एक तरफा कार्यवाही करते हुए मनमाने तौर पर आदेश जारी किया गया है। इस न्यायालय में विचाराधीन अन्य अपील प्रकरण सं0 209/2018 में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया गया है। अतः भू–प्रबंध अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.10.1989 की पालना में सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा दिनांक 17.08.1990 को तस्दीक नामान्तरकरण सं0 29 वाके ग्राम आकेडा चौड खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जयपुर जिला–जयपुर (राज.)

29.11.19
(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner